



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

झारखण्ड राज्य अवस्थित मॉडल विद्यालयों में वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 16/2020

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 466 दिनांक 01.03.2012, 1791 दिनांक 06.07.2012, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक 53 दिनांक 05.05.2014 एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1165 दिनांक 07.06.2016 के आलोक में एतद् द्वारा सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक/सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अभिभावक एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राज्य में संचालित कुल 89 मॉडल विद्यालयों में नामांकन हेतु छात्र/छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी मॉडल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित होंगे तथा पूर्णतः गैर-आवासीय होंगे:-

1. **आवेदक की पात्रता:** (क) दिनांक 01, अप्रैल 2020 को न्यूनतम आयु 10(दस) वर्ष एवं अधिकतम 12(बारह) वर्ष होना चाहिए। (ख) संबंधित प्रखण्ड के निवासी तथा प्रखण्ड के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वर्ग-05(पाँच) उत्तीर्ण/कक्षा-06(छः) में अध्ययनरत छात्र-छात्रा।

2. **परीक्षा शुल्क:** यह परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आवेदन-प्रपत्र एवं परीक्षा देने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

3. **आवेदन-प्रपत्र:**

* सादा आवेदन-प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in से दिनांक 01.06.2020 से 21.06.2020 तक डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

* परीक्षार्थी द्वारा भरा हुआ आवेदन प्रपत्र प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEO) कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि- 23.06.2020

* प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEO) द्वारा भरा हुआ आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि-30.06.2020

* जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा हुए आवेदन प्रपत्रों के आधार पर निर्मित समेकित सूची परिषद् कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि- 04.07.2020

* **परीक्षा की तिथि- 18.07.2020 समय- पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न - 01:00 बजे तक**

4. **नामांकन:** मॉडल विद्यालयों के वर्ग VI(छठा) में नामांकन मेधा सूची के आधार पर होगा। नामांकन में राज्य के जिला स्तरीय आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा। एक विद्यालय में कुल 40(चालीस) छात्र/छात्राओं का नामांकन होगा।

आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि/जाति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, परन्तु नामांकन के समय उन्हें मूल रूप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व रद्द समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5. **परीक्षा का विषय:** यह परीक्षा OMR Sheet आधारित होगा। विषयवार अंकों का निर्धारण निम्न अनुसार होगा।

(क) अंग्रेजी	-	30 अंक
(ख) गणित	-	30 अंक
(ग) सामाजिक विज्ञान-		40 अंक
कुल -		100 अंक

6. **परीक्षा केन्द्र:** संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित विद्यालय में होगा।

नोट:- परिषद् के वेबसाइट पर फॉर्म के साथ जिला तथा प्रखण्ड का नाम एवं कोड की सूची उपलब्ध है। छात्र-छात्राएँ परीक्षा आवेदन प्रपत्र में जिला एवं प्रखण्ड कोड भरने हेतु उक्त सूची में अंकित कोड का ही उपयोग करेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मॉडल विद्यालय/1032/2020/

SECY/195/20, Dt. 30.05.2020

D.O.P : 31.05.2020